

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22-2-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित।
वकील अपीलान्ट बहस आयन्दा करना चाहते हैं
बहस हेतु अपसर दिया जाता है। वास्ते बहस
हेतु पत्रावली दिनांक 8-3-18 को पेश हो।

8-3-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित।
वकील अपीलान्ट बहस आयन्दा करना चाहते हैं
वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 12-4-18
को पेश हो।

12-4-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित।
वकील अपीलान्ट बहस आयन्दा करना चाहते हैं।
वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19-4-18 को
पेश हो।

19-4-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित।
वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26-4-18 को
पेश हो।

26-4-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित।
वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वास्ते अपीलान्ट हेतु पत्रावली
दिनांक 27-4-18 को पेश हो।


27-4-18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित। अपीलान्टों
ने बहस में अपने अपील मेमो में नियमित वादवियारा
होने का आधार लेकर अपील प्रस्तुत की है। और चेदि नियमित
वाद से 63/07 अपीलान्टों का प्रस्तुत वाद था और वाद कावली
प्रवधानों से पूरे होने से व्यायालय द्वारा दिनांक 27-4-18 को
इसी व्यायालय द्वारा वकूले व्यायालय में अन्तर सुना कर
स्वार्दिन दिया गया है। दोनो मामले एक ही कृषि
आराजिपाल से संबंधी होने से अपील अपील का कोई
आंचित्य नहीं है। पक्ष अपना कावली उजर नियमित

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

वाद में उठा हुआ है इसी कारण नियमित वाद
के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह अपील श्वारिज
की जाती है।

पत्रावली फौजल सुमार होकर दफ्तरदाखिल हो।
बाद नम्बर कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा